फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

फोजी **बनाम** **रामकुमार**

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट. नम्बर 52 सन–2022

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुकम का तामील में जारी हुए
2022	वकील सायल ने यह प्रार्थना –पत्र सायल की ओर से पेश किया प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर वकील सायल को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया गया प्रथम दृष्टया प्रकरण, सूविधा का सन्तुलन , अपूर्णीय क्षति का बिन्दु सायल के पक्ष में प्रतीत होता है अतः प्रस्तुंत दस्तावेज एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए गैरसायलान/अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि रोही मौजा खरसण्डी के खाता संख्या 103/101 की कुल 19.3720हैक में से 1941/1986 हिस्सा भूमि गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज है में से प्रार्थीयान के हक हिस्सा की भूमि की रिकार्ड की यथास्थिति आगामी तारीख पेशी तक बनाई रखी जावे अस्थायी निषेधाज्ञा बढाने का निर्णय सुनने के उपरान्त लिया जावेगा एवं स्थगन आदेश खाला एवं रास्ता की भूमि पर लागू नही होगा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावें अप्रार्थीगण के रजिस्टर सम्मन जारी किये जाकर पत्रावली दिनांक 07.06.2022 को पेश हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर	
7/6/22	पत्रावली पेश हुई सायल व सायल वा अधिवक्ता उपस्थित नहीं पुनः सायल व सायल व अधिवक्ता वा अवज्ञा लगवाई सायल व सायल वा वादी कोई उपस्थित नहीं सायल वा प्रार्थनापत्र अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज किया गया व पत्रावली दाखिल दफ्तर हो	